



कार्यालय जिला पंचायत, कोरबा (छत्तीसगढ़)
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी प्रकोष्ठ



क्र./ 634 / जि.पं./ स्था./ MGNREGA / 2017
प्रति,

कोरबा, दिनांक 05/12/17

नोडल अधिकारी
(अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी)
जिला कोरबा (छ.ग.)


विषय:- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत रिक्त पदों के विरुद्ध चयनित अभ्यर्थियों का आदेश जिले के वेबसाइट में अपलोड करने बाबत।

—00—

विषयांतर्गत लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनांतर्गत कार्यक्रम अधिकारी/सहायक प्रोग्रामर एवं लेखापाल (संविदा) के रिक्त पदों का कौशल परीक्षा उपरान्त मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों का आदेश जिले के वेबसाइट में प्रकाशन किया जाना है।

अतः श्रीमान नियुक्ति आदेश जिले के वेबसाइट में अपलोड करने हेतु एन.आई.सी. कोरबा को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।



मुख्य कार्यपालन/अधिकारी
जिला-पंचायत, कोरबा(छ.ग.)

क्र./ 635 / जि.पं./ स्था./ MGNREGA / 2017

कोरबा, दिनांक 05/12/17

प्रतिलिपि:-

1. जन सूचना अधिकारी (एन.आई.सी.) कोरबा को सूचनार्थ।


मुख्य कार्यपालन-अधिकारी
जिला-पंचायत, कोरबा(छ.ग.)



कार्यालय जिला पंचायत कोरबा

महात्मा गांधी रोजगार गारंटी प्रकोष्ठ, जिला- कोरबा



// आदेश //

क्रमांक/632/जि.पं./MGNREGA/स्था./2017

कोरबा, दिनांक 05.12.17


कार्यालयीन विज्ञापन क्र. 405/मनरेगा/स्थापना/2017 कोरबा, दिनांक 06.06.2017 में दिये गये विवरण अनुसार छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग रायपुर के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा) भर्ती नियम 2012 में निहित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत प्रतिमाह रु. 28080/- निश्चित मानदेय पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत कार्यक्रम अधिकारी के पद पर निम्नलिखित अभ्यर्थी को नियुक्त किया जाता है:-

क्र	आरक्षण की स्थिति	अभ्यर्थी का नाम/पिता का नाम	पदस्थापना स्थल	वर्तमान पता
1	2	3	4	5
1.	अनु.जन.जाति. (मुक्त)	श्री देव सिंह सिदार पिता श्री दुलार सिंह सिदार	जनपद पंचायत कटघोरा	क्वाटर नं. 108/4 गजरा कॉलोनी बांगी मोंगरा

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

यह नियुक्ति निम्नांकित शर्तों एवं अनुबंधों के अधीन होगी :-


1. यह नियुक्ति 28.02.2018 तक के लिए है। 28.02.2018 के पश्चात् यह नियुक्ति स्वमेव समाप्त हो जावेगी। गोपनीय प्रतिवेदन के आधार पर पुनः एक वर्ष की संविदा अवधि बढ़ाई जावेगी।
2. नियुक्ति उसी दशा में प्रभावशील होगी यदि वे शारीरिक दृष्टि से कार्यभार ग्रहण करने योग्य जिला चिकित्सालय से स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस प्रमाण पत्र (मूलप्रति) प्रस्तुत करेंगे।
3. चयनित उम्मीदवार की शैक्षणिक अर्हता, जाति प्रमाण पत्र निवास प्रमाण पत्र यदि कालांतर में सत्यापन के पश्चात् सही नहीं पाया गया तो बिना कोई सूचना के सेवा से पृथक किया जावेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व उम्मीदवार का होगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के तहत कार्यवाही की जावेगी।
4. शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के तहत योग्य नहीं पाये जाने की स्थिति में बिना पूर्व सूचना के सेवा समाप्त की जा सकेगी।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला - पंचायत कोरबा (छ.ग.)
कोरबा, दिनांक 05.12.17

पृ.क्रमांक/633/जि.पं./MGNREGA/स्था./2017

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी परषद, विभागाध्यक्ष कार्यालय इन्द्रावती भवन, ब्लॉक 2 द्वितीय तल नया रायपुर की और सूचनार्थ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कटघोरा को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
4. संबंधित श्री/श्रीमती/कु.
को पालनार्थ। आप जिला पंचायत, कोरबा में अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों की मूल प्रति सहित दिनांक 12.12.17 तक अपनी उपस्थिति अनिवार्यतः सुनिश्चित करें अन्यथा आपकी नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला - पंचायत कोरबा (छ.ग.)



कार्यालय जिला पंचायत कोरबा

महात्मा गांधी रोजगार गारंटी प्रकोष्ठ, जिला- कोरबा



// आदेश //

क्रमांक /638 / जि.पं. / MGNREGA / स्था. / 2017

कोरबा, दिनांक 05.12.2017


कार्यालयीन विज्ञापन क्र. 988 / मनरेगा / स्थापना / 2016 कोरबा, दिनांक 09.12.2016 में दिये गये विवरण अनुसार छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग रायपुर के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा) भर्ती नियम 2012 में निहित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत प्रतिमाह रु. 24765/- निश्चित मानदेय पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर के पद पर निम्नलिखित अभ्यर्थी को नियुक्त किया जाता है:-

क्र	आरक्षण की स्थिति	अभ्यर्थी का नाम / पिता का नाम	पदस्थापना स्थल	वर्तमान पता
1	2	3	4	5
1.	अनारक्षित (मुक्त)	श्री शिव कुमार टण्डन पिता श्री जी.आर. टण्डन	जनपद पंचायत पाली	मकान नं. - 1078 वार्ड नं. 16 पुराना कांशीनगर कोरबा

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

यह नियुक्ति निम्नांकित शर्तों एवं अनुबंधों के अधीन होगी :-

1. यह नियुक्ति 28.02.2018 तक के लिए है। 28.02.2018 के पश्चात् यह नियुक्ति स्वमेव समाप्त हो जावेगी। गोपनीय प्रतिवेदन के आधार पर पुनः एक वर्ष की संविदा अवधि बढ़ाई जावेगी।
2. नियुक्ति उसी दशा में प्रभावशील होगी यदि वे शारीरिक दृष्टि से कार्यभार ग्रहण करने योग्य जिला चिकित्सालय से स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस प्रमाण पत्र (मूलप्रति) प्रस्तुत करेंगे।
3. चयनित उम्मीदवार की शैक्षणिक अर्हता, जाति प्रमाण पत्र निवास प्रमाण पत्र यदि कालांतर में सत्यापन के पश्चात् सही नहीं पाया गया तो बिना कोई सूचना के सेवा से पृथक किया जावेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व उम्मीदवार का होगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के तहत कार्यवाही की जावेगी।
4. शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के तहत योग्य नहीं पाये जाने की स्थिति में बिना पूर्व सूचना के सेवा समाप्त की जा सकेगी।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी


जिला - पंचायत कोरबा (छ.ग.)

कोरबा, दिनांक 05.12.17

पृ.क्रमांक /639 / जि.पं. / MGNREGA / स्था. / 2017

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी परिषद, विभागाध्यक्ष कार्यालय इन्द्रावती भवन, ब्लॉक 2 द्वितीय तल नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. संबंधित श्री / श्रीमती / कृ.
को पालनार्थ। आप जिला पंचायत, कोरबा में अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों की मूल प्रति सहित दिनांक 12.12.17 तक अपनी उपस्थिति अनिवार्यतः सुनिश्चित करें अन्यथा आपकी नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला - पंचायत कोरबा (छ.ग.)



कार्यालय जिला पंचायत कोरबा

महात्मा गांधी रोजगार गारंटी प्रकोष्ठ, जिला- कोरबा



// आदेश //

क्रमांक / 630 / जि.पं. / MGNREGA / स्था. / 2017

कोरबा, दिनांक 09.12.2017


कार्यालयीन विज्ञापन क्र. 988 / मनरेगा / स्थापना / 2016 कोरबा, दिनांक 09.12.2016 में दिये गये विवरण अनुसार छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग रायपुर के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा) भर्ती नियम 2012 में निहित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत प्रतिमाह रु. 16445/- निश्चित मानदेय पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत लेखापाल के पद पर निम्नलिखित अभ्यर्थी को नियुक्त किया जाता है:-

क्र	आरक्षण की स्थिति	अभ्यर्थी का नाम/पिता का नाम	पदस्थापना स्थल	वर्तमान पता
1	2	3	4	5
1.	अनारक्षित (मुक्त)	सुश्री स्वाती जायसवाल पिता श्री सियाराम जायसवाल	जनपद पंचायत पाली	महाराणा प्रताप नगर अटल आवास नं. 5 कोरबा
2.	अन्य पिछड़ा वर्ग (मुक्त)	श्री संतराम यादव पिता श्री सुकुल कुमार यादव	जनपद पंचायत पोड़ी उपरोड़ा	ग्राम कसरेंगा तहसील कटघोरा पोस्ट ऑफिस डेलवाडीह कोरबा
3.	अनु.जन.जाति. (मुक्त)	सुश्री मनोरंजनी टोप्पो पिता श्री बेलास टोप्पो	जनपद पंचायत करतला	वार्ड क्र. 17 मकान नं. 714 पथरीपारा पूर्व कोरबा


(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

यह नियुक्ति निम्नांकित शर्तों एवं अनुबंधों के अधीन होगी :-

1. यह नियुक्ति 28.02.2018 तक के लिए है। 28.02.2018 के पश्चात् यह नियुक्ति स्वमेव समाप्त हो जावेगी। गोपनीय प्रतिवेदन के आधार पर पुनः एक वर्ष की संविदा अवधि बढ़ाई जावेगी।
2. नियुक्ति उसी दशा में प्रभावशील होगी यदि वे शारीरिक दृष्टि से कार्यभार ग्रहण करने योग्य जिला चिकित्सालय से स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस प्रमाण पत्र (मूलप्रति) प्रस्तुत करेंगे।
3. चयनित उम्मीदवार की शैक्षणिक अर्हता, जाति प्रमाण पत्र निवास प्रमाण पत्र यदि कालांतर में सत्यापन के पश्चात् सही नहीं पाया गया तो बिना कोई सूचना के सेवा से पृथक किया जावेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व उम्मीदवार का होगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के तहत कार्यवाही की जावेगी।
4. शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के तहत योग्य नहीं पाये जाने की स्थिति में बिना पूर्व सूचना के सेवा समाप्त की जा सकेगी।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला - पंचायत कोरबा (छ.ग.)

1. आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी परषिद, विभागाध्यक्ष कार्यालय इन्द्रावती भवन, ब्लॉक 2 द्वितीय तल नया रायपुर की ओर सूचनार्थ ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पाली/पोड़ी उपरोड़ा/करतला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
4. संबंधित श्री/श्रीमती/कु.
को पालनार्थ । आप जिला पंचायत, कोरबा में अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों की मूल प्रति सहित दिनांक 12/12/17 तक अपनी उपस्थिति अनिवार्यतः सुनिश्चित करें अन्यथा आपकी नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी ।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला - पंचायत कोरबा (छ.ग.)